न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—509/2012/75 (2012/00101)

बोदू पुत्र हरजी, जाति गुर्जर, निवासी सांवतसर, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. श्रीमती सायर बेवा बोदू,
2. राजू पुत्र बोदू,
3. जगदीश पुत्र बोदू,
4. मदन पुत्र बोद,)
5. प्रधान पुत्र बोदू,)
6. सुश्री कोमल पुत्री बोदू) नाबालिगान जरिये सरंक्षक माता श्रीमती
7. सुश्री संजू पुत्री बोदू) सायर बेवा बोदू,
8. पायलेट पुत्र बोदू,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी सांवतसर, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. नगर परिषद, किशनगढ़, जिला अजमेर जरिये सचिव ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 1.9.2011 .

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः—28.6.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 1.9.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पूर्वज बोदू पुत्र हरजी के पिता हरजी पुत्र हुकमा, जाति गुर्जर, निवासी सांवतसर ने दिनांक 10.6.1963 को आवंटन सलाहकार समिति, किशनगढ़ के समक्ष ग्राम सांवतसर स्थित भूमि खसरा नंबर 208 रकबा 106—4—00 बीघा में से 5 बीधा भूमि के आवंटन हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 18.7.1963 को हरजी पुत्र हुकमा गुर्जर को 5 बीघा भूमि आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा व दखल सुपुर्द किया गया लेकिन अधिकारी अभिलेख में आवंटन आदेश की पालना में अमल दरामद नहीं हो पाया । इसी कारण अपीलांटस के पूर्वज बोदू पुत्र हरजी ने आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1963 बाबत् अपील संख्या 35/2009 हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की जो दिनांक 10.8.2010 को स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ को

निर्देश पारित किये कि साबिक खसरा नंबर 208 रकबा 106–4–00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 बनाये गये है में से 5 बीघा भूमि का अमल दरामद आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1963 की पालना में अपीलांटस के पूर्वज बोदू पुत्र हरजी के नाम दर्ज किया जावे । उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन बोदू पुत्र हरजी उसके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस के नाम नामांतकरण तस्दीक किया जाकर अमल दरामद नहीं हुआ । इसी दौरान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 1.9.2011 को ग्राम किशनगढ़, मदनगंज, सांवतसर तथा परासिया की काफी आराजियात जो सिवायचक दर्ज थी, नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित करने का आदेश पारित कर दिया जिसमें अपीलांटस की खातेदारी की विवादित आराजियात खसरा संख्या 208/1, 208/2, 208/6 व 208/14 की 5 बीघा भूमि भी शामिल है । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा संख्या 208 कुल रकबा 106–4–00 बीघा में से 5 बीघा भूमि अपीलांटस के पूर्वज हरजी पु1त्र हुकमा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.7.1963 को आवंटन की जाकर कब्जा व दखल सुपुर्द कर दिया गया थ्झा तब से हरजी एवं उनके स्वर्गवास के बाद बोदू पुत्र हरजी तत्पश्चात् अपीलांटस आवंटी के वारिस होकर बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 18.7.1963 को अपीलांटस के पूर्वज को आवंटन की गई थी, जिससे उक्त आराजियात के काश्तकारी स्वत्व अपीलांटस में निहित हो गये है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पूर्वज को हुआ उक्त आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है एवं बहाल है । इस प्रकार उक्त आवंटित भूमि ओक्यूपाईड भूमि होकर दिनांक 1.9.2011 को कतई आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी । आवंटित आराजी आवंटन आदेश की पालना में अपीलांटस के पूर्वजों के नाम खातेदारी हक से जमाबंदी में दर्ज नहीं की गई, इसी कारण अपीलांटस के पूर्वज बोदू द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 34/2010 पेश की थी जो दिनांक 10.8.2010 को स्वीकार की जाकर बोदू पुत्र हरजी को आवंटन आदेश की पालना में हाल खसरा नंबर 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित करने बाबत् आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश दिनांक 10.8.2010 को पारित किया गया था जिसमें तहसीलदार, किशनगढ़ रेस्पो0 संख्या 1 थे जिससे उन्हें अपीलाधीन भूमि बाबत् संपूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद तहसीलदार ने हाजा न्यायालय के निर्णय बाबत् विद्वान जिला कलक्टर को अवगत नहीं कराया जिससे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विवादित आराजियात नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित करने की त्रुटि कारित हुई है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया हस्तातंरण आदेश दिनांक 1.9.2011 हाल आराजी संख्या 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 11.7.2012 को हल्का

पटवारी ने वादग्रस्त आराजी पर इस वर्ष से काश्त करने हेतु मना किया और कहा कि उक्त भ्ज्ञूमि जिला कलक्टर के ओदश से नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित हो चुकी है । तब दिनांक 12.7.2012 को न्यायालय में जाकर इस बाबत् जानकारी प्राप्की, तो नामांतकरण संख्या 1887 दिनांक 9.1.2012 के द्वारा विवादित आराजी नगर परिषद, किशनगढ़ के हक में विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की पालना में स्वीकार होने की जानकारी होने पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश दिनांक 1.9.2011 की नकल हेतु आवेदन किया किन्तु प्रमाणित नकल प्राप्त नहीं हुई इसलिये जानकारी से अंदर मियाद आदेश की फोटो प्रति के आधार पर अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित की है । हस्तातंरण आदेश की पालना में नगर परिषद, किशनगढ़ के नाम नामांतकरण संख्या 1887 दिनांक 9.1.2012 को स्वीकृत हो चुका है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांट ने सिद्ध नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुना नहीं गया था जिसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारंभ से अपीलांट को होना नहीं माना जा सकता है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 1.9.2011 द्वारा विवादित अन्य ग्राम की भूमियों के साथ–साथ अपीलाधीन भूमियां भी नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 208 कुल रकबा 106–4–00 बीघा में से 5 बीघा भूमि अपीलांटस के पूर्वज हरजी दिनांक 18.7.1963 को आवंटित की जाकर कब्जा काश्त सुपुर्द किया गया था किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं होने से अपीलांटस के पूर्वज बोदू ने आवंटन आदेश दिनांक 18.7. 1963 बाबत् अपील संख्या 35/2009 हाजा न्यायालय में पेश की थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.8.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्देश दिये गये थे कि ग्राम सांवतसर की साबिक आराजी खसरा नंबर 208 रकबा 106–4–00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि का अवांटन अपीलांट के पिता हरजी वल्द हुकमा गुजर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.7.1963 को किया गा था की अनुपालना में अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार, किशनगढ़ रेस्पो0 पक्षकार नियुक्त थे जिससे उन्हें विवादित आराजियात बाबत् संपूर्ण तथ्यों की जानकारी थी किन्तु तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा उक्त तथ्यों से जिला कलक्टर, अजमेर को अवगत नहीं कराया गया जिससे जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अन्य

खसरा नंबरान की भूमियों के साथ–साथ रेस्पो0 के पूर्वज को आवंटित भूमि खसरा संख्या 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि भूमि भी नगर परिषद, किशनगढ़ को हस्तातंरित की गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष उक्त तथ्य नहीं होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सबूत एवं सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला तथा अपीलांटस उक्त तथ्यों से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को अवगत नहीं करा सके थे जबकि विवादित आरायिजात अपीलांटस के पूर्वज को आवंटित होने से उन्हें सुना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का हस्तातरंण आदेश दिनांक 1.9.2011 ग्राम सांवतसर के हाल खसरा नंबर 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा रकबा 5 बीघा भूमि की हद तक अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.9.2011 को ग्राम सांवतसर, तहसील किशनगढ़ के हाल खसरा नंबर 208/1, 208/2, 208/6 एवं 208/14 में से आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि की हद तक पारित हस्तातंरण निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है वे अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को निर्णित करे । । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर